न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2016 (राजसमन्द आर्डर)

श्रीमती सायरी बेवा हजारी जी गुर्जर, निवासी राछेटी, तहसील आमेट हाल निवासी देबारियों की ढाणी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेमा पिता उदा जी गुर्जर, निवासी राछेटी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्रभु पिता उदा जी गुर्जर, निवासी राछेटी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. गरिया पिता हजारी जी गुर्जर, निवासी राछेटी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. गोपिया पिता हजारी जी गुर्जर, निवासी राछेटी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती सन्तु पुत्री उदा जी गुर्जर, निवासी वागड़, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती नोसी पुत्री उदा जी गुर्जर, निवासी बल्लों का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती चन्द्री बाई पुत्री जालु जी गुर्जर, निवासी राछेटी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 27.04.2016 प्र०सं० 11/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री कन्हैया लाल चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो. 1 व 2
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8

———::———

निर्णय दिनांक 30–01–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राछेटी में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित ''क'' से ''छ'' तक की भूमियां स्थित हैं। उक्त भूमियों में सम्पूर्ण हिस्सा देवा पिता दूदा गुर्जर के नाम दर्ज है, जिसमें प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार पक्षकारान का हिस्सा दर्ज है। देवा जी की मृत्यु दिनांक 12–05–1990 को हुई, जो लाऔलाद फोत होने से उनके वैध उत्तराधिकारी प्रार्थीगण होकर उक्त भूमियों पर काबिज हैं तथा उनका काज करियावर प्रार्थीगण द्वारा ही किया गया। विपक्षी संख्या 1 सायरी, हजारी पिता भूरा गुर्जर की विवाहिता पत्नी है तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 उसके पुत्र हैं। देवा जी प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 4 व 5 के सगे काका होकर लाऔलाद फोत हुए एवं उसके भाई हीरा के पुत्र हैं तथा देवा के अन्य भाई जालू की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पत्नी श्रीमती चन्द्री है। देवा जी ने विपक्षी संख्या 1 को कभी कोई वसीयत नहीं की है तथा व राछेटी में नहीं रहती है, बल्कि हजारी की मृत्यु के बाद रेबारी जाति के व्यक्ति के साथ रेबारियों की ढाणी में रहती है तथा पिछले 15 वर्षो से राछेटी नहीं आयी है, परन्तु देवा की मृत्यु के 25 वर्षो बाद वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि फर्जी है तथा उसका कभी भी देवा या उसकी भूमियों से कोई संबंध नहीं रहा है न ही उसका कभी कब्जा रहा है। प्रार्थीगण देवा के विधिक वारिसान होकर विवादित भूमियों पर काबिज हैं। विपक्षी संख्या 1 फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने पर आमादा है अतएवं उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजियात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2, 3 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि देवा जी ने अपने जीवनकाल में विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित कर दी, विपक्षी संख्या 1 देवा की

पत्नी रही है। प्रार्थीगण का उक्त भूमियों में कोई हक व अधिकार नहीं है न ही उनका कब्जा है। देवा ने जाति रीति रिवाज अनुसार विपक्षी संख्या 1 से विवाह किया था तथा विपक्षी संख्या 1 देवा के जीवनकाल में उसकी पत्नी बनकर रही, राजकीय दस्तावेज निर्वाचन नामावली आदि दस्तावेजों में एवं देवा द्वारा निष्पादित वसीयत में देवा जी ने उसे पत्नी के रूप में अंकित किया है। देवा की मृत्यु के बाद परिवार वालों के प्रताड़ित करने से वह अन्य गांव में रहने लगी। प्रार्थीगण देवा के वैध उत्तराधिकारी नहीं हैं, न ही उनका कब्जा है तथा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 27–04–2016 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–06–2016 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोंन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोंन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि पेश शुदा वसीयत अनुसार देवा की उत्तराधिकारी एक मात्र अपीलान्ट है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 देवा की सम्पत्ति हड़पना चाहते हैं इस कारण

उन्होंने भूमि का नामान्तरकरण नहीं खुलने दिया तथा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो न्याय की परिभाषा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया है तथा पजींकृत वसीयत को नजर अंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि देवा प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का काका है व अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में देवा द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत रेकार्ड पर है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया प्रकरण का विवेचन किया जाना प्रसांगिक होता है। प्रकरण में जहां तक प्रथम दृष्टया स्वत्व का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट स्थिति है कि जहां प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट स्वयं को देवा के लाऔलाद फोत होने के आधार पर अपने आपको प्राकृतिक उत्तराधिकार बताते हैं वहीं अपीलान्ट वसीयत के आधार पर अपना उत्तराधिकार बताती है, जिसका विनिश्चयन मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर होगा, परन्तु प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा वाद संख्या 204/90 निर्णय दिनांक 22–05–2001 जो स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, उक्त वाद में पक्षकारों को सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। उक्त निर्णय की किसी प्रकार की अपील किया जाना प्रकट नहीं है, तद्नुसार इस भूमि में अपीलान्ट उक्त स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द है। स्थाई निषेधाज्ञा किसी पक्षकार के विरूद्ध तभी जारी की जाती है, जबकि उसका उक्त भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित नहीं हो, तद्नुसार इस भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना प्रथम दृष्टया सुस्पष्ट है। जहां तक स्वत्व का प्रश्न है, प्राकृतिक उत्तराधिकार अथवा वसीयत बाबत उत्तराधिकार मूलवाद में साक्ष्य के आधार पर ही तय होगा। तद्नुसार स्वत्व को लेकर अनिश्चितता है परन्तु स्थाई

निषेधाज्ञा के वाद से कब्जा प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट का साबित है। जब उत्तराधिकार के प्रकरण में किसी पक्षकार का कब्जा नहीं हो तथा उत्तराधिकार किसका तय होगा इस बाबत् साक्ष्य सबूतों को लेकर अनिश्चितता हो तो ऐसी स्थिति में अधिनस्थ द्वारा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के जो आदेश दिये गये हैं, उससे अपीलान्ट के कोई हक प्रथम दृष्टया प्रभावित होते हों ऐसा नहीं माना जा सकता, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में मानकर जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा इस हद तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त पर भी अपीलान्ट को किसी प्रकार से व्यथित नहीं पाते हैं।

समग्र विवेचन अनुसार हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अस्थाई निषेधाज्ञा की मूल मंशा विषय वस्तुत की यथावतता सुनिश्चित करवाये जाने को लेकर है, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–04–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर